उत्तर प्रदेश वन निगम

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक

अरण्य विकास भवन, 21/475, इन्दिरानगर, लखनऊ 226016
website - www.upforestcorporation.co.in

पत्रांक एम–7565,/नीलाम जनरल/शर्तें(ई–नीलाम/सामान्य नीलाम) दिनांक 25, नवम्बर 2021

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक एम–769/नीलाम जनरल/शर्तें(ई–नीलाम), दिनांक 23.04.2021, पत्रांक एम–4401/नीलाम जनरल/शर्तें(सामान्य नीलाम), दिनांक 05.10.2021, पत्रांक एम–805/नीलाम जनरल/शर्तें, दिनांक 24.10.2019 एवं पत्रांक एम–6171 नीलाम जनरल/शर्तें(सामान्य नीलाम), दिनांक 26.11.2020 द्वारा ई–नीलाम/सामान्य नीलाम हेतु शर्तें जारी की गई थी। अत्याधुनिक संचार माध्यमों के उचित उपयोग किये जाने की दृष्टि से शर्त संख्या–5.3 एवं शर्त संख्या–9 में निम्नवत संशोधन/परिवर्तन किया जाता है:–

वर्तमान में लागू शर्त संख्या–5.3	संशोधित शर्त संख्या–5.3
लाट के अनुमोदन की सूचना हाथ से अथवा रजिस्ट्री द्वारा डिपो स्तर से प्रेषित की जायेगी। अनुमोदन के प्रेषण की तिथि का अंकन ई–नीलाम के साफ्टवेयर पर डिपो अधिकारी द्वारा किया जायेगा। अनुमोदन सूचना प्रेषण तिथि के अगले 24 दिनों के भीतर एवं माल निकासी के पूर्व विक्रय मूल्य/प्रमाणित प्रकाष्ठ का प्रीमियम (प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 वन निगम के पक्ष में) एवं कर/शुल्क आदि का भुगतान (सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी के पक्ष में) ई–पेमेन्ट की व्यवस्था के अन्तर्गत ई–नीलाम के सॉफ्टवेयर में निर्धारित प्रकिया के अनुसार केता को करना होगा। अभिवहन शुल्क अलग से माल निकासी के समय जमा किया जायेगा।	लाट के अनुमोदन की सूचना केता को ई–मेल/एस0एम0एस0/व्हाटसएप के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। अनुमोदन सूचना प्रेषण तिथि के अगले 20 दिनों के भीतर एवं माल निकासी के पूर्व विक्रय मूल्य/प्रमाणित प्रकाष्ठ का प्रीमियम (प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 वन निगम के पक्ष में) एवं कर/शुल्क आदि का भुगतान (सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी के पक्ष में) ई–पेमेन्ट की व्यवस्था के अन्तर्गत ई–नीलाम के सॉफ्टवेयर में निर्धारित प्रकिया के अनुसार केता को करना होगा। अभिवहन शुल्क अलग से माल निकासी के समय जमा किया जायेगा।
वर्तमान में लागू शर्त संख्या–9	**संशोधित शर्त संख्या–9**
शर्त संख्या 05 में उल्लिखित प्रकिया एवं धनराशि जमा हेतु निर्धारित अवधि 24 (चौबिस दिन) के अन्दर यदि केता देय धनराशि का भुगतान नही करता है, तो उसे अगले 14 (चौदह) दिनों तक प्रत्येक दिन की देरी के लिए देय विक्रय मूल्य की धनराशि पर 0.25% प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क एवं देय जी0एस0टी0 देना होगा। यदि विलम्ब शुल्क एवं देय जी0एस0टी0 की धनराशि 14 (चौदह) दिनों की अवधि के बाद भी केता देय धनराशि का भुगतान नही करता है तो उसकी जमानत एवं जी0एस0टी0 की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और लाट का नीलाम स्वतः निरस्त माना जायेगा।	शर्त संख्या 05 में उल्लिखित प्रकिया एवं धनराशि जमा हेतु निर्धारित अवधि 20 (बीस दिन) के अन्दर यदि केता देय धनराशि का भुगतान नही करता है, तो उसे अगले 14 (चौदह) दिनों तक प्रत्येक दिन की देरी के लिये देय विक्रय मूल्य की धनराशि पर 0.25% प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क एवं देय जी0एस0टी0 देना होगा। यदि विलम्ब शुल्क एवं देय जी0एस0टी0 की धनराशि 14 (चौदह) दिनों की अवधि के बाद भी केता देय धनराशि का भुगतान नही करता है तो उसकी जमानत एवं जी0एस0टी0 की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और लाट का नीलाम स्वतः निरस्त माना जायेगा।

उक्त आदेश प्रबन्ध निदेशक महोदय के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये जा रहे हैं एवं **दिनांक 01.12.2021 से प्रभावी होंगे।**

(राम कुमार)
महाप्रबन्धक (विपणन)

क्रमशः 2 पर